

फरक्का-कहलगाँव से जगमग होगा बहार, तीन सरेंडर इकाइयों से मल्लिगी 159 मेगावाट बजिली

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2023 को बहार वदियुत वनियामक आयोग (बीईआरसी) ने फरक्का और कहलगाँव की उत्पादन इकाईयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बजिली आपूर्तिके संबंध में दायर बजिली कंपनियों की याचिका पर नरिणय देते हुए बजिली खरीद की अनुमतिप्रदान की है।

प्रमुख बडि

- ऊर्जा मंत्रालय की पूर्वी क्षेत्र वदियुत समतिके आदेश पर बहार वदियुत वनियामक आयोग (बीईआरसी) ने मुहर लगते हुए बजिली कंपनियों कप खरीद की मंजूरी दी है। यह बजिली केंद्रीय वदियुत वनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पहले से अनुमोदति दर पर उपलब्ध होगा।
- बहार वदियुत वनियामक आयोग के सदस्य (तकनीकी) अरुण सनिहा और सदस्य (वर्धि) पी एस यादव की बेंच ने इससे जुडी बजिली कंपनियों की याचिका पर नरिणय देते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ताओं को फरक्का के स्टेज-वन और स्टेज-टू इकाई से 107.751 मेगावाट और एनटीपीसी की कहलगाँव इकाई से 51.520 मेगावाट 24 घंटे उपलब्ध करायी जाएगी। बजिली कंपनी ने एक महीने पहले ही फरक्का की दो और कहलगाँव की एक इकाई से लगभग 850 मेगावाट बजिली सरेंडर की थी।
- देश के पूर्वी राज्यों की बजिली आपूर्तनियंत्रित करने वाली संस्था ने बहार की सरेंडर बजिली में से कसिी अन्य राज्य को आवंटति नही हुयी 159 मेगावाट बजिली पुनः बहार को उपलब्ध कराया है। इसके लिये एनटीपीसी एवं बहार सरकार के मध्य समझौता हुआ है जिसमे सरेंडर की गई अनावंटति बजिली संबंधित राज्य को ही उपयोग करना होता है।
- याचिका में बजिली कंपनियों ने बताया कि बरौनी स्टेज वन में नरिमति 110-110 मेगावाट की दो इकाईयाँ पछिले 14 महीनो से अनुबंधति मात्रा का केवल 5 प्रतशित ही आपूर्तिकर रही है। इस स्थितिमें भवषिय में सुधार होने का संभावना नही है जिससे बजिली में 'राउंड द क्लाक' के आधार पर करीब 200 मेगावाट की वर्ष भर कमी रह रही है।
- बजिली कंपनियों ने कहा कि 159 मेगावाट बजिली की खरीद अनुमति मिलने से बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से लगभग 200 मेगावाट की कमी को कम करने में सहायता मल्लिगी।